



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235472
CG-DL-E-30042022-235472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1897]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944

No. 1897]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संशोधन

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का.आ. 1997(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 493(अ) दिनांक 4 फरवरी, 2022, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 7 फरवरी, 2022, में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1) अधिसूचना के हिन्दी पृष्ठ संख्या 10 में (गाँव : तुंगवाली)

को विलोपित किया जाता है,				उसके स्थान पर पढ़ा जायें			
323 / / 5 / 1	00	08	11	323 / / 5 / 1	00	08	11
323 / / 5 / 2				323 / / 5 / 2			
324 / / 1 / 1				324 / / 1 / 1	00	08	11
324 / / 1 / 2				324 / / 1 / 2			

2) अनुसूची के हिन्दी पृष्ठ संख्या 29 तथा अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 62 में (गाँव : दिख)

को विलोपित किया जाता है,				उसके स्थान पर पढ़ा जायें			
24 / / 23 / 1	00	08	08	24 / / 23 / 1	00	08	08
24 / / 23 / 2				24 / / 23 / 2			
24 / / 24 / 1				24 / / 24 / 1	00	08	08
24 / / 24 / 2				24 / / 24 / 2			

[फा.सं. आर. -12042(11)/23/2021-ओआर-II/(ई-40547)]

पी.सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

AMENDMENT

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 1997(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 493 (E), dated 4th February, 2022 Published in the Extraordinary Gazette of India dated 7th February, 2022 as under namely,

1) In the Said Notification Published At Page No. 10 in Hindi Version (Village: Tungwali)

Published area as:				To be read as:			
323//5/1	00	08	11	323//5/1	00	08	11
323//5/2				323//5/2			
324//1/1				324//1/1	00	08	11
324//1/2				324//1/2			

2) In the Said Notification At Page No. 29 in Hindi and page No.62 in English Version (Village: Dikh)

Published area as:				To be read as:			
24//23/1	00	08	08	24//23/1	00	08	08
24//23/2				24//23/2			
24//24/1				24//24/1	00	08	08
24//24/2				24//24/2			

[F. No. R-12042(11)/23/2021-OR-II/(E-40547)]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.